

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

B/5232

क्रमांक..... / चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक. 04/11/2022

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 629/गोपनीय/2022 दिनांक 20.06.2022 द्वारा निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप एंट्री वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने पर उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

| क. | नाम                    | उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति का दिनांक | प्राप्त वेतन | वेतनवृद्धि का दिनांक   | निर्धारित वेतन                                      | देय दिनांक   |
|----|------------------------|--|--------------|--|---|--|
| 1. | 2.                     | 3.                                       | 4.           | 5.   | 6.  | 7.   |
| 1  | श्री विक्रमसिंह बुले   | 22.03.2017                               | 51550/-      | -<br>22.03.2018<br>22.03.2019<br>22.03.2020<br>22.03.2021<br>(Voluntary Retired on 30-06-2021) | 51550/-<br>52780/-<br>54010/-<br>55240/-<br>56470/- | 22.03.2017<br>01.03.2018<br>01.03.2019<br>01.03.2020<br>01.03.2021 |
| 2  | श्री रतन कुमार वर्मा   | 24.03.2017<br>(A.N.)                     | 51550/-      | -<br>24.03.2018<br>24.03.2019<br>24.03.2020<br>24.03.2021<br>(Retired on 31-07-2021)           | 51550/-<br>52780/-<br>54010/-<br>55240/-<br>56470/- | 25.03.2017<br>01.03.2018<br>01.03.2019<br>01.03.2020<br>01.03.2021 |
| 3  | श्री धनराज दुबेला      | 23.03.2017                               | 51550/-      | -<br>23.03.2018<br>23.03.2019<br>23.03.2020<br>(Retired on 31-07-2020)                         | 51550/-<br>52780/-<br>54010/-<br>55240/-            | 23.03.2017<br>01.03.2018<br>01.03.2019<br>01.03.2020               |
| 4  | श्री मुकेश कुमार बाथम  | 24.03.2017<br>(A.N.)                     | 51550/-      | -<br>24.03.2018<br>24.03.2019<br>24.03.2020<br>(Retired on 31-07-2020)                         | 51550/-<br>52780/-<br>54010/-<br>55240/-            | 25.03.2017<br>01.03.2018<br>01.03.2019<br>01.03.2020               |
| 5  | श्री अशोक कुमार सौधिया | 20.03.2017                               | 51550/-      | -<br>20.03.2018<br>20.03.2019<br>(Retired on 31-01-2020)                                       | 51550/-<br>52780/-<br>54010/-                       | 20.03.2017<br>01.03.2018<br>01.03.2019                             |
| 6  | स्व० श्रीजगदीश अग्रवाल | 28.05.2018                               | 51550/-      | -<br>28.05.2019<br>28.05.2020<br>(Expired on 07-04-2021)                                       | 51550/-<br>52780/-<br>54010/-                       | 28.05.2018<br>01.05.2019<br>01.05.2020                             |

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

*(Signature)*  
3.11.2022

(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)

*(Signature)*


पृष्ठांकन क्रमांक...../ चार-12-14/10  
प्रतिलिपि:

जबलपुर, दिनांक...../11/2022

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (म0प्र0 राज्य के.....समस्त)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री विक्रमसिंह बुले, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश, 734-ए, उषानगर एक्सटेंशन, दशहरा मैदान के पास, महालक्ष्मी मंदिर के सामने इन्दौर, (मध्यप्रदेश) पिन-452009
4. श्री रतन कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश, 20, अवधपुरी/अलकापुरी न्यूहाई कोर्ट बिल्डिंग के पीछे सिटी सेक्टर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)।
5. श्री धनराज दुबेला, सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश, केयर ऑफ चन्द्रभान भागीरथ जी दुबेला, 123, दत्त मंदिर रोड, बालागंज, मंदसौर, (मध्यप्रदेश)।
6. श्री मुकेश कुमार बाथम, सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश, विधि भवन वार्ड क्रमांक-9, राजामण्डी, ग्वालियर, पोस्ट लोहामण्डी, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) पिन-474003
7. श्री अशोक कुमार सोंधिया, सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश, पता-म.नं. 473 प्लॉट नं. 54, पूजा होम्स, वार्ड नं. 71, धनवन्तरी नगर, जबलपुर (मध्यप्रदेश)।
8. श्रीमती दीप्ती अग्रवाल पत्नी स्व0 श्री जगदीश अग्रवाल, अपर जिला न्यायाधीश, निवासी 11/66, पुराना पोस्ट ऑफिस रोड, बताशा गली, गुना (मध्यप्रदेश)।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(II)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेशके तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

डेमन

  
3.11.2022  
रजिस्ट्रार (एम)